

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0/34/2021/2751

दिनांक : 20/05/2024

संशोधित आदेश

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री राजेश कुमार शर्मा को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पूर्व में पदोन्नति पर संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के क्रम में एतत् द्वारा उक्त वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा पदोन्नति का विवरण	अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 के अनुसार			लिपिक ग्रेड-आ के पदोन्नत पद पर शेट्टी आयोग केतहत एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करने पर मूल वेतन व पे-लेवल	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय एसीपी/पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन		
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री राजेश कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-आ, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण, क्रम सं0 08 जयपुर महानगर-आ	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी जयपुर महानगर-आ 422 दि. 03.10.2018	04.10.2018 (पदोन्नति दिनांक) 27100/- (L-05)	04.10.2018 (पदोन्नति दिनांक) 27100/- (L-02)	09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान /एसीपी की दिनांक 06.05.2011 को प्रथम वित्तीय उन्नयन देय होने से प्रथम पदोन्नति पर 26ए का लाभ देय नहीं है।	04.10.2018 (पदोन्नति दिनांक) 27900/- (L-05)	04.10.2018 (पदोन्नति दिनांक) 28700/- (L-05)	01.07.2019

नोट:-

01. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 07 में उल्लेखित दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की कोई एरियर राशि नियमानुसार देय नहीं होगी एवं दिनांक 01.04.2023 से वित्तीय लाभ नगद देय होंगे।
02. उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।


-Sel-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0/34/2021/2752

दिनांक : 20/05/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. संबंधित कर्मचारी।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय
20/5/23